भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं0 2032

14 दिसम्बर, 2023 को उत्तर के लिए

आवासीय इकाइयों की संख्या

2032. श्री हेमन्त तुकाराम गोडसे:

क्या ***आवासन और शहरी कार्य*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान चल रही प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत देश के विभिन्न राज्यों में अब तक लाभाथियों को राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल कितनी आवासीय इकाइयां सौंपी गई हैं;

(ख) क्या कुछ परिवार उक्त योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो विशेषकर महाराष्ट्र राज्य सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) वंचित परिवारों को उक्त योजना का लाभ प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री कौशल किशोर)

(क) से (घ): 'भूमि' और 'कालोनीकरण' राज्य के विषय हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय जून 2015 से "सभी के लिए आवास" मिशन के तहत सभी पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं सहित सभी मौसमानुकूल 'पक्के' आवास प्रदान करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को पूरा करने में केंद्रीय सहायता प्रदान करके प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) का कार्यान्वयन कर रहा है। यह योजना चार घटकों अर्थात लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी); साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी); स्व स्थाने स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) और क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना(सीएलएसएस) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। पीएमएवाई-यू के तहत, योजना दिशानिर्देशों के अनुसार बीएलसी/एएचपी/आईएसएसआर घटक के तहत लाभार्थियों का चयन संबंधित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है।

पीएमएवाई–यू एक मांग आधारित योजना है और भारत सरकार ने आवासों के निर्माण के लिए कोई लक्ष्य तय नहीं किया है। 04.12.2023 तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, पीएमएवाई-यू के तहत 118.63 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 113.43 लाख आवासों का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है; जिनमें से 78.27 लाख पूर्ण हो चुके हैं/लाभार्थियों को सुपुर्द कर दिए गए हैं। पीएमएवाई-यू के तहत महाराष्ट्र राज्य सहित, पीएमएवाई-यू की शुरुआत से स्वीकृत, निर्माणाधीन और पूर्ण /सुपुर्द किए गए आवास और पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पूर्ण/सुपुर्द किए गए आवासों का राज्य/संघ राज्य वार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

पीएमएवाई–यू, जो पूर्व में 31.03.2022 तक थी, योजना के क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) को छोड़कर, फंडिंग पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति मे बिना बदलाव किए, स्वीकृत सभी आवासों को पूरा करने के लिए, 31.12.2024 तक बढ़ा दी गई है। तदनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रो के विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार विस्तारित मिशन अवधि के भीतर सभी स्वीकृत आवासो को पूरा करने में तेजी लाने की सलाह दी गई है।

*****

दिनांक 14-12-2023 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2032 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पीएमएवाई-यू के तहत महाराष्ट्र राज्य सहित, पीएमएवाई-यू की शुरुआत से ,पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान स्वीकृत, निर्माणाधीन पूर्ण/सुपुर्द किए गए आवासों का राज्य/संघ राज्य वार ब्यौरा

क्र.स.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**		**स्वीकृत** आवास **(संख्या)**	निर्माणाधीन आवास **(संख्या)**	**पूर्ण** आवास **(संख्या)**	
					शुरुआत से	**पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान**
1	राज्य	आंध्र प्रदेश	21,32,432	20,07,436	8,68,342	8,40,963
2		बिहार	3,24,996	3,03,304	1,15,932	1,11,382
3		छत्तीसगढ	3,02,663	2,82,396	2,01,785	1,97,771
4		गोवा	3,146	3,146	3,144	3,034
5		गुजरात	10,05,204	9,77,652	8,91,700	8,17,441
6		हरियाणा	1,15,034	92,903	66,174	63,193
7		हिमाचल प्रदेश	12,758	12,352	9,789	9,566
8		झारखंड	2,29,156	2,13,262	1,33,439	1,05,164
9		कर्नाटक	6,38,121	5,92,173	3,29,815	2,84,322
10		केरल	1,66,752	1,46,790	1,17,235	1,13,503
11		मध्य प्रदेश	9,61,147	9,43,757	7,29,627	6,87,318
12		महाराष्ट्र	13,95,199	11,13,594	8,24,756	7,85,908
13		ओडिशा	2,03,380	1,70,449	1,38,042	1,34,621
14		पंजाब	1,32,235	1,13,308	78,147	76,098
15		राजस्थान	2,89,446	2,55,141	1,75,567	1,56,325
16		तमिलनाडु	6,81,795	6,61,367	5,49,018	5,07,990
17		तेलंगाना	2,50,084	2,44,219	2,24,339	2,20,861
18		उत्तर प्रदेश	17,72,301	16,74,580	13,40,499	13,29,171
19		उत्तराखंड	65,519	55,049	32,819	30,065
20		पश्चिम बंगाल	6,68,953	6,12,193	3,78,590	3,45,866
उप-कुल (राज्य):-			**1,13,50,321**	**1,04,75,071**	**72,08,759**	**68,20,562**
21	उत्तर पूर्व राज्य	अरुणाचल प्रदेश	8,499	8,360	6,822	6,806
22		असम	1,76,643	1,52,164	90,928	90,659
23		मणिपुर	56,037	48,068	11,829	11,636
24		मेघालय	4,758	3,786	1,171	1,122
25		मिजोरम	39,605	39,215	7,530	7,273
26		नागालैंड	31,860	31,841	18,954	18,490
27		सिक्किम	594	449	209	206
28		त्रिपुरा	89,068	84,499	68,401	60,933

उप-कुल (पूर्वोत्तर राज्य):-			**4,07,064**	**3,68,382**	**2,05,844**	**1,97,125**
29	संघ राज्य क्षेत्र	अंडमान एवं निकोबार द्वीप	376	376	47	47
30		चंडीगढ़	1,256	1,256	1,256	1,192
31		दादरा एवं नगर हवेली और दमन दीव	10,468	10,196	9,181	8,691
32		दिल्ली	29,976	29,976	29,976	27,246
33		जम्मू एवं कश्मीर	47,040	41,132	20,547	20,393
34		लद्दाख	1,307	1,014	754	692
35		लक्षद्वीप	-	-	-	-
36		पुदुचेरी	15,265	14,344	9,257	9,192
उप-कुल (यूटी):-			**1,05,688**	**98,294**	**71,018**	**67,453**
कुल योग :-			**118.63 लाख**	**113.43 लाख***	**78.27 लाख***	**70.85 लाख**

* मिशन अवधि के दौरान जेएनएनयूआरएम के पूर्ण (3.41 लाख)/ निर्माणाधीन (4.01 लाख) आवास शामिल हैं।

*****